सं0-34/2021/227(6)/23-12-2021-849/18

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊः दिनांक 11 जून, 2021**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाह्य सहायतित परियोजना अन्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-981बीजी/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 17.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 04 चालू कार्यों पर रू0 17063.97 लाख (रूपये एक अरब सत्तर करोड़ तिरसठ लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार /निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत/ प्राविधिक लागत	अब तक आवंटन	अवुमक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	विश्व बैंक खण्ड, झांसी	हमीरपुर राठ गुरसराय झांसी मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 42) के प्रथम पैकेज चैनेज 2.065 से 74.850 कि0मी0 (कुल लम्बाई 74.755 किमी0) तक के भाग का उच्चीकरण कार्य।	854/23-12-15-1578/14(आर0), दि0 13.07.2015	34757.80	30718.36	29.53
2	विश्व बैंक खण्ड,झांसी	हमीरपुर राठ गुरसराय झांसी मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 42) के तृतीय पैकेज चैनेज 118.600 किमी0 से 167.745 कि0मी0 तक के भाग का उच्चीकरण कार्य।	846/23-12-15-4(सा0) /12टी0सी0 , दि013.07.2015	22716.78	22293.87	34.44

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	नि0ख0-3, (विश्व बैंक), सीतापुर	गोला-शाहजहांपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-93) के चैनेज 1.280 किमी0 से 58.580 कि0मी0 तक के भाग का उच्चीकरण कार्य।	1047/23-12-15-1856/14(आर0), दिनांक 13.07.2015	41741.450	23288.45	9000.00
4	वि0बैं0 खण्ड, मुरादाबाद।	बदांयू बिल्सी बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 51) के चैनेज 58.400 से 137.820 कि0मी0 तक के भाग का उच्चीकरण कार्य	854/23-12-15-1578/14 (आर0), दिनांक 13.07.2015	41991.76	30713.73	8000.00
			योग	**141207.79**	**107014.40**	**17063.97**

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं विश्व बैंक के प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आहरण में द्विरावृत्ति न हो।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा नही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णत: प्रमाण पत्र शासन एवं विश्व बैंक को प्रेषित किया जाय।

(9) उपरोक्त उल्लिखित कार्यों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) विभाग द्वारा विश्व बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-97-बाह्य सहायतित परियोजनायें-9705-विश्वबैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारोंके अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या-34/2021/227(7)/23-12-2021तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्त, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

11- लोक निर्माण अनु0-10

12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in